न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या 01/2016

बउनवान

चतुर्भुज उम्र 50 साल पुत्र भैरूलाल, जाति माली, निवासी ग्राम कोटडा तहसील व जिला बारां (राज0) **(निगराकार)**

बनाम

1. ग्राम पंचायत ग्राम करनाहेडा पं0स0 बारां जिला बारां राज0 जर्ये सचिव ग्राम पंचायत करनाहेडा तहसील व जिला बारां (राज0)
2. रामकल्याण उम्र 58 साल पुत्र भैरूलाल जाति किराड
3. प्रेमबाई उम्र 45 साल पत्नि रामकल्याण जाति किराड, निवासीगण कोटडा तहसील व जिला बारां **(गैरनिगराकारान)**

निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायत राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :— 1. श्री राजेन्द्र सुमन, अभिभाषक (निगराकार)
2. श्री भगवान सिंह, अभिभाषक (गैर निग. कम–1)
3. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक (गैर निग. कम–2 व 3)

निर्णय दिनांक 06.12.2022

निगराकार की ओर से जर्ये अभिभाषक निगरानी इस आशय की पेश की गई है कि गैरनिगराकार कम 1 ने दिनांक 13.09.1992 को वाके ग्राम कोटड़ा की अराजी खसरा नंबर 200 व 194 के 24 X 48 वर्गफीट भू भाग का पट्टा दिनांक 13.09.1992 को निःशुल्क जारी किया है जो सर्वथा विधि विरूद्ध, मनमाना स्वेच्छाचारी एवं अधिकार बाह्य है जो प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय है। पट्टा प्राप्त करने के बाद गैरनिगराकार कम 2 व 3 ने उक्त भूखण्ड पर अपना अतिक्रमण कर लिया तथा प्रार्थी निगराकार के खेत खसरा नंबर 207 पर आने जाने का रास्ता बाधित कर दिया। निगराकार ने सक्षम न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0ख0 बारां में सक्षम दीवानी वाद चतुर्भुज बनाम रामकल्याण, पत्रावली संख्या 13/2006 दावा स्थायी निषेधाज्ञा एवं आम रास्ता खुलवाने बाबत् पेश किया। यह वाद न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.02.2010 की निगराकार का पक्ष अस्वीकार करते हुए खारीज कर दिया, जिसके विरूद्ध एक अपील माननीय जिला न्यायाधीश, बारां में पेश की। यह अपील न्यायालय ए0डी0जे0 बारां में पत्रावली संख्या 06/2010 चतुर्भुज बनाम रामकल्याण निर्णय दिनांक 06.04.2015 से स्वीकार करते हुए निगराकार का रास्ता खुलवाया। उक्त वाद के विचारण के दौरान दीवानी न्यायालय ने तनकी नंबर 3 कायम करते हुए वाद बिन्दु बनाया कि "आया आम रास्ता खरंजा के पूर्वी ओर एवं खसरा नंबर 207 के मध्य प्रतिवादी कम 1 की आवंटन शुदा भूमि 24 X 48 फीट है।" इस पर दीवानी न्यायालय ने निर्णय दिया कि उक्त आवंटन शुदा भूमि खसरा नंबर 200 में ही स्थित है। न्यायालय को पट्टे की विधि मान्यता के संदर्भ में निषेधाज्ञा के इस प्रकरण में कोई निष्कर्ष पारित करना आवश्यक नही है। पट्टे से संबंधित कोई साक्ष्य मौजूद नही है, [illegible] में इस बाबत अपना कोई विश्चिय नही दे सकता। उक्त दीवानी कार्यवाही में पट्टा विवा[illegible] था, ऐसी स्थिति में दीवानी न्यायालय से कोई पट्टे बाबत निर्णय नही हो सकता [illegible] चारागाह भूमि पर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का वैयक्तिक अधिकार [illegible] है। ग्राम पंचायत [illegible] में उक्त पट्टे से संबंधित कोई रेकार्ड नही है। पंचायत नियमों के [illegible]र्गत निःशुल्क पट्टा [illegible]ना अनुमत नही है एवं पट्टा जारी करने से पूर्व कोई विहीत प्रक्रिया नही अपनाई गई। नियमानुसार पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत समिति अथवा जिला परिषद से अनुमति लेना तथा सरपंच के साथ साथ सचिव के भी हस्ताक्षर होना आवश्यक है, जो विवादित पट्टे पर नही है। अतः निगरानी निगराकार स्वीकार

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.02 13:18:50 IST
Reason: SelfAttested

करनायी जाकर ग्राम पंचायत करनाहेडा से पट्टे से संबंधित पत्रावली एवं पट्टे की मूल प्रति एवं संबंधित कार्यवाही तलब कर बाद सुनवायी एवं परीक्षण निगरानी विवादित पट्टा दिनांक 13.09.2002 निरस्त फरमावें।

निगरानी पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगराकारान को तलब किया गया। तथा ग्राम पंचायत करनाहेड़ा से पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया।

गैर निगराकार कम 2 व 3 ने जर्ये अभिभाषक जवाब व लिखित बहस इस आशय की पेश की कि ग्राम पंचायत करनोहडा द्वारा गैरनिगराकारान को 24 X 48 वर्गफीट का भू भाग दिनांक 13.09.2002 को आवंटित किया गया जिस पर गैरनिगराकारान मकान बनाकर रह रहे हैं। ग्राम पंचायत को पट्टा जारी काने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा इसी प्रक्रिया के तहत गैरनिगराकार को पट्टा जारी किया गया है। आवंटित भूमि पर कोई जानवर नही आते तथा आम रास्ते के बाद नाली है तथा नाली के बाद भूमि का यह पट्टा जारी किया गया है। गैरनिगराकारन द्वारा पट्टा प्राप्त करने के बाद किसी भी भूखण्ड पर अतिक्रमण नही किया है और खेत खसरा नंबर 207 पर जाने का रास्ता बन्द भी नही किया है। निगराकार ने एक मुकदमा सिविल न्यायाधीश बारां में पेश किया था। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी गैरनिगराकार पेश कर रहे है, जिसमें चतुर्भुज ने स्वयं एवं अपने भाई प्रभूलाल व राजेन्द्र, रामसिंह व सत्यनारायण की ओर से गैरनिगराकार के विरूद्ध दावा पेश किया था जो मूल दीवानी वाद संख्या 13/2006 पर दर्ज हुआ। यह दावा दिनांक 09.03.2006 को न्यायालय में पेश किया। जिसमें गैरनिगराकार ने अपना जवाबदावा पेश किया तथा जवाब दावा के बाद न्यायालय ने तनकीयात कायम की। जिसमें एक तनकी यह भी कायम की थी कि " आया खसरा नंबर 200 व 194 में बने हुये रास्ते के पूर्वी ओर खसरा नंबर 207 के मध्य प्रतिवादीगण ने पत्थर डालकर सार्जजनिक उपयोग की भूमि में बाधा पैदा कर दी है" तथा इसी के साथ एक तनकी यह भी थी कि " आया आम रास्ता खंरजा के पूर्वी और खसरा नंबर 207 के मध्य प्रतिवादी कम 2 की आवंटन शुदा भूमि 24 X 48 फीट है।" तनकी नं. 2 को सिद्ध करने का भार चतुर्भुज पर तथा तनकी नंबर 3 को सिद्ध करने का भार गैरनिगराकारान पर डाला गया। सिविल न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए तनकी नं. 2 को निगराकार के विरूद्ध तय किया व तनकी नंबर 3 को गैरनिगराकार के पक्ष में निर्णित किया। इस प्रकार इन दोनो तनकीयात के फैसले को देखने से स्पष्ट है कि गैरनिगराकार ने कोई रास्ता बन्द नही किया है और वहां पर कोई सरकारी रास्त भी नही है, सिविल न्यायालय ने निगराकार का वाद खारिज कर दिया था। यह निर्णय दिनांक 11.02.2010 को हुआ। इस निर्णय के विरूद्ध निगराकार ने एक अपील जिला सेशंन न्यायाधीश बारां में पेश की जो दीवानी अपील संख्या 06/2010 पर दर्ज हुयी। जिसका निर्णय अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश ने दिनांक 06.04.2015 को किया। जिसमें अपीलीय न्यायालय ने केवल मात्र यह माना है कि आम रास्ता खंरजा से वादी की भूमि खसरा नंबर 207 पर आने जाने के लिये स्थित 12 फीट चोडे रास्ते को किसी भी रूप में अवरूद्ध नही करे एवं वादी को अपनी भूमि खसरा नंबर 207 पर आने जाने में कोई अवरोध, व्यवधान या कंटक उत्पन्न नही करें। इस प्रकार गैरनिगराकार के पट्टे को भी दोनो दीवानी न्यायालय ने सही माना है। सिविल न्यायालय में जो सहायता मांगी गयी है, उसमें तथा निगरानी के हेडिग में जो सहायता निगराकार मांग रहा है, वह एक जैसी है। निगरानी के हेडिग में यह लिखा है "निगरानी बनाराजगी आदेश निर्णय अनुसार जारी पट्टा दिनांक 13.09.2002 बहक अप्रार्थीया [illegible] नाहेडा बाबत भूखण्ड वाके ग्राम कोटडा जिसके पूरब में कोमल प्रसाद, पश्चिम में आ[illegible]त्तर में रामलाल किराड का मकान एवं दक्षिण में रामस्वरूप लुहार का रास[illegible]री।" क्योकि वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद दिनांक [illegible] प्रतिवादी ने अपना जवाब दावा दिनांक 12.04.2006 को पेश कर दिया तथा उसमें अपने पट्टे बाबत सारी बाते खुलासा कर दी थी। इस प्रकार निगराकार को गैरनिगराकार के पट्टै की ज[illegible]री दिनांक 12.04.2006 को हो गयी थी व दिनांक 12.04.2006 से दिनांक 14.12.2015 तक उसने पट्टे निरस्त करने की कोई कार्यवाही लगभग 10 वर्ष तक नही की। इससे स्पष्ट है कि निगराकार मात्र गैरनिगराकारान को परेशान करना चाहता है। पट्टा आवंटन हुये 17 वर्ष हो चुके है। जिस पर गैरनिगराकार का मकान बना हुआ है। जिसमें

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.02 13:18:50 IST
Reason: SelfAttested

गैरनिगराकार क्रम 2 व 3 परिवार सहित निवास करता है। निगराकार पट्टा निरस्त करवाने की आड में गैरनिगराकार के मकान को गिराना चाहता है, क्योकि जो पट्टा निगराकार को आवंटन किया गया है, उस जगह पर गैरनिगराकार का मकान बना हुआ है तथा उसमें गैरनिगराकार परिवार सहित निवास करता है। निगराकार पिछले रास्ते से आकर गैरनिगराकारान को भूखण्ड से हटाना चाहता है, मोका रिपोर्ट व नक्शा जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुआ है, उससे यह स्पष्ट है नक्शा परिशिष्ट 'क' प्रदर्श –1, नक्शा प्रदर्श –3 तथा नक्शा प्रदर्श –6 तथा नक्शा प्रदर्श –डी 1 तथा नक्शा मोका प्रदर्श डी 2 को देखने के उपरान्त ही सिविल न्यायालय ने अपना निर्णय पारित किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2009(4) आर.एल.डब्ल्यू. 3372 तहसीलदार बनाम एल.आर ऑफ गंगाबाई मे यह निर्धारित किया है कि सन् 1959 मे ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया और 1960 मे उसने निर्माण कार्य करवाया, तभी से वह उस पर काबिज है। इस प्रकार उस पट्टे को माननीय न्यायालय ने सही माना है। 2011 (4) सी.डी.आर. 2071 (राजस्थान) (डी.बी.) जीवनसिंह बनाम नेमीचन्द मे भी यह माना है कि काफी लम्बे समय से जारी पटटे पर आक्षेप उठाना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग है और ऐसा पटटा खारिज नहीं किया जा सकता। क्योंकि पटटा किसी कपट या छल द्वारा प्राप्त नही किया गया है। वाद सं. 13/2006 न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0ख0 बारां चतुर्भुज बनाम रामकल्याण मे प्रेम बाई व रामकल्याण की ओर से जवाबदावा पेश किया था, जो 12.04.2006 को पेश किया था उसकी मद नं. 1,2,3,8 एवं विशेष कथन की मद नं0 2 मे प्रेमबाई ने स्पष्ट बता दिया था कि प्रतिवादी क्रम 1 को ग्राम पंचायत करनाहेडा द्वारा दिनांक 13.09.2002 को आवंटन कर पटटा उसके नाम जारी करा दिया था। इस तथ्य की जानकारी निगराकार को दिनांक 12.04.2006 को हो गयी थी। इस प्रकार उनका यह कथन कि उनको इस पटटे की जानकारी दिनांक 21.04.2015 को हुयी, कहना नितान्त गलत है। सिविल न्यायालय के प्रकरण में भी गैरनिगराकार द्वारा विवादित पटटा पेश किया था जो एक्जी. –1 ए. डला था तथा इसी प्रकरण मे एक तनकी नं0 3 बनायी गयी थी, जिसमे यह तय हुआ था कि आया आम रास्ता खंरजा के पूर्वी ओर खसरा नं0 207 के मध्य प्रतिवादी क्रम 1 की आवंटन शुदा भूमि 24 तथा इसी प्रकरण मे एक तनकी नं0 3 बनायी गयी थी, जिसमे यह तय हुआ था कि आया आम रास्ता खंरजा के पूर्वी ओर खसरा नं0 207 के मध्य प्रतिवादी क्रम 1 की आवंटन शुदा भूमि 24X48 फीट है। इस कारण निगराकार का यह कथन कि उसको पटटे की जानकारी 21.04.2015 को हुयी कहना नितान्त गलत है। अतः जवाब व लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि निगरानी खारिज की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

ग्राम पंचायत करनाहेडा में उक्त रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना अवगत कराने पर हमने प्रकरण अन्तिम बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत करनाहेडा पंचायत समिति बारां द्वारा गैरनिगराकार क्रम 3 के नाम खसरा नंबर 200 व 194 पर 24 X 48 = 1152 वर्गफीट का जारी पट्टा दिनांक 13.09.1992 अवैध, शून्य एवं मनमाना होने से निरस्तनीय है। राजस्व रेकार्ड अनुसार उक्त वर्णित आराजी चारागाह भूमि खसरा नंबर 200 व 194 का भाग है गैर निगराकार क्रम 3 के पक्ष में जारी पट्टा पंचायत की भूमि का नहीं है। ग्राम पंचायत करनाहेडा में उक्त पट्टे से संबंधित कोई रेकार्ड नहीं है। पंचायत नियमों के अन्तर्गत निःशुल्क पट्टा दिया जाना अनुमत नही है। एवं पट[illegible]करने से पूर्व कोई विहीत प्रक्रिया नही अपनाई गई। नियमानुसार पट्टा जा[illegible] जिला परिषद से अनुमति लेना तथा सरपंच के साथ साथ सचि[illegible] है, जो विवादित पट्टे पर नही है। एक अपील माननीय जिला न्याया[illegible] यह अपील न्यायालय ए0डी0जे0 बारां में पत्रावली संख्या 06/2010 चतुर्भुज बनाम रामकल्याण नि[illegible] दिनांक 06.04.2015 से स्वीकार करते हुए निगराकार का रास्ता खुलवाया। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक निगराकार ने विधिक दृष्टांत आरएलआर 2000(1) नारायणलाल बनाम स्टेट व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.07.1999 की छायाप्रति पेश की तथा गैर निगराकार क्रम 3 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 13.09.2002 निरस्त करने की इस्तदुआ की।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.02 13:18:50 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार ने जवाब एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत करनाहेडा द्वारा पूर्ण कानूनी प्रकिया अपनाकर गैर निगराकार कम 3 के पक्ष में दिनांक 13.09.2002 को जारी किया गया है। प्रस्तुत निगरानी बेरून मियाद है। गैर निगराकार को पट्टा जारी हुये 17 वर्ष हो चुके है। जिस पर गैरनिगराकार का मकान बना हुआ है। जिसमें गैरनिगराकार कम 2 व 3 परिवार सहित निवास करता है। निगराकार का यह कथन नितान्त असत्य है कि उसको पटटे की जानकारी 21.04.2015 को हुयी जबकि निगराकार एवं गैर निगराकारान के मध्य सिविल न्यायालय में कार्यवाही दिनांक 09.03.2006 से जारी रही जिसमें गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे दिनांक 12.04.2006 में पट्टे बाबत सारी बातें खुलासा कर दी गई थी। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक गैर निगराकार ने विधिक दृष्टांत 2011 (4) सीडीआर पृष्ठ संख्या 2071 बउनवान जीवन सिंह बनाम नेमीचन्द व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2011 एवं 2009(4) आरएलड्ब्ल्यू 3372 बउनवान तहसीलदार यू आई टी उदयपुर व अन्य बनाम एलआरस् ऑफ गंगाबाई मेनारिया व अन्य में पारित निर्णय की छायाप्रतियां पेश की तथा निगरानी निरस्त करने की इस्तदुआ की।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विकास अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 06.11.2019 के अनुसार पट्टा सरपंच द्वारा जारी किया गया परन्तु पट्टे की मिसल व प्रस्ताव रिकार्ड में नहीं है। पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत जारी नही किया गया है। पट्टे पर सिर्फ सरपंच के हस्ताक्षर हैं सचिव के हस्ताक्षर नहीं है।

निगराकार के अनुसार पट्टा खसरा नंबर 200 व 194 चारागाह में जारी होना बताया है जबकि इसके संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया गया। माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां के निर्णय दिनांक 06.04.2015 में सिर्फ निगराकार की भूमि खसरा नंबर 207 पर आने जाने के लिए स्थित 12 फीट चौडे रास्ते को अवरूद्ध नही करने हेतु गैरनिगराकारान को पाबन्द किया है। पटटे के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा कोई Finding नही दी गई है। परन्तु चंकि पट्टा विधिवत् रूप से पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर जारी नही किया गया।

परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार कम 3 के पक्ष में ग्राम पंचायत करनाहेड़ा द्वारा जारी पट्टा दिनांक 13.09.2002 48 X 24 = 1152 वर्गफीट निरस्त किया जाता है। पट्टेधारी को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होगें।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.02 13:18:50 IST
Reason: SelfAttested